रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2004/माघ 21, 1925
No. 38] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2004/MAGHA 21, 1925

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2004

फा. सं. 8-2/2003-नीति/(ई एस).—बागवानी, पशुधन, डेयरी और मात्स्यिकी सहित भारतीय किसानों के सामने आने वाले विभिन्न मामलों की जांच और विविधीकृत कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता और स्थायित्व में सुधार लाने के लिए उपयुक्त हस्तक्षेपों पर सुझाव देने तथा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन का प्रश्न हाल के वर्षों में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है। तदनुसार ग्रामीण निर्धनता को कम करने तथा नई सदी में कृषक समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु त्वरित, विविधीकृत कृषि विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और उपायों की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ एक राष्ट्रीय कृषक आयोग (एन.सी.एफ.) के गठन का निर्णय लिया है :—

* भारतीय कृषि की स्थिति की समीक्षा करना और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के किसानों की स्थितियों का मूल्यांकन करना तथा असंतुलनों और असमानताओं के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना और देश में सतत व एक समान कृषि विकास प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाना।

* कृषि और ऐसे समवर्गी क्षेत्रों जिनमें अधिक आय देने वाली कृषि शामिल है, की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी सिफारिशें करना जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास के लिए कृषि की भूमिका और योगदान को इष्टतम बनाने के अलावा गरीबी को कम करें तथा लाभप्रद व्यवसाय के रूप में कृषि को व्यवहार्यता प्रदान करें और उसे आकर्षक रूप दें।

* कृषि प्रौद्योगिकी और आदान वितरण तंत्रों के सृजन और प्रसार का मूल्यांकन करना तथा कृषि जैव-प्रौद्योगिकी, सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जलवायु पूर्वानुमान अनुप्रयोगों जैसे फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों के विस्तार हेतु कृषक अनुकूल ढांचे पर सुझाव देना तथा साथ ही निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता को बढ़ावा देकर कृषि सेवाओं हेतु उन्नत वितरण तंत्र की सिफारिश करना ।

* किसानों की आय और कल्याण तथा साथ ही आर्थिक वातावरण में सुधार के लिए वर्तमान मूल्य और विपणन नीति तथा कानूनी व्यवस्था की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा और गैर कृषि रोजगार सुविधाओं के सृजन के लिए बाजार आधारित कृषि विविधीकरण एवं कृषि प्रसंस्करण तथा कृषि अर्थ-व्यवस्था के शीर्ष समेकन के लिए संभावनाओं का पता लगाना ।

* राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार का वातावरण जिसका छोटी कृषि जोतों की जीविका स्थायित्व और व्यवहार्यता पर प्रभाव पड़े, में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना तथा संसाधनहीन कृषक परिवारों की जीविका, भोजन और पोषणीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उनकी क्षमता वृद्धि हेतु संस्थागत और अवसंरचनात्मक उपायों पर सुझाव देना ।

* अन्य कोई मामला जो प्रासंगिक हो या विशेष रूप से सरकार द्वारा आयोग को भेजा जाये ।

2.1 आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

अध्यक्ष

(i) श्री सोमपाल

पूर्ण-कालिक सदस्य

(ii) श्री राम बदन सिंह
(iii) श्री वाई०सी० नन्दा

अंश-कालिक सदस्य

(iv) डा० आर०एल० पितले
(v) श्री चिलाकाम रामचन्द्र रेड्डी
(vi) श्री कुंवरजी भाई जादव

<u>सदस्य सचिव</u>

(vii) श्री आर०सी०ए० जैन

2.2 श्री आर०सी०ए० जैन सचिव (कृषि व सहकारिता विभाग) 29.2.04 तक सदस्य सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे और 1.3.04 से अपनी अधिवर्षिता के बाद पूर्णकालिक प्रभार संभालेंगे ।

2.3 अध्यक्ष केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री के स्तर के होंगे । आयोग के दो पूर्णकालीन सदस्य और सदस्य सचिव भारत सरकार के सचिव के स्तर एवं वेतनमान में होंगे । अंशकालिक सदस्य अवैतनिक हैसियत से काम करेंगे तथा उनका स्तर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता एवं अन्य सुविधाओं के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के सचिव के समरूप होगा । अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिव का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि का होगा ।

3. आयोग यथाशीघ्र अथवा अधिकतम दो वर्षों की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें देगा । आयोग किसी भी विचारार्थ विषय पर उचित समझने पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

4. आयोग निम्नलिखित के लिये स्वतंत्र है :-

(i) विशिष्ट क्षेत्र/क्षेत्रों अथवा समस्या/समस्याओं के लिए उप-समिति (यों) या अध्ययन दल (दलों) का गठन । आयोग किसी भी पहलू, जो इसके विचारार्थ विषय को कवर करता है और इसके काम से संबंधित है, के अध्ययन के लिए पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर तकनीकी सलाहकारों को भी रखेगा । यदि इन मामलों पर कोई अन्य विशेषज्ञ निकाय/आयोग विचार कर रहा है, तो आयोग को ऐसे दक्ष निकायों और आयोगों के साथ विचार-विमर्श की सुविधा प्रदान की जाएगी ;

ii) कृषि, पशुपालन, मात्स्यिकी और कृषि-प्रसंस्करण के क्षेत्र में शामिल विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कार्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और अन्य संगठनों के दौरे करेगा और उनसे परस्पर विचार विमर्श ;

iii) विचारार्थ विषय में कवर किये गये मामलों में जनता की राय जानने के लिए ज्ञापन एवं प्रतिवेदन स्वीकार करना तथा किसानों, विकास प्रशासकों, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञ और अन्य पणधारियों के साथ परस्पर विचार विमर्श करना ;

iv) सरकार के ऐसे सभी रिकार्डों को देखना जिन्हें आवश्यक एवं समुचित समझा जाये ;

v) विचारार्थ विषय को पूरा करने के लिए ऐसे सभी कदम उठाना, जिन्हें आवश्यक समझा जाये ।

5. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा परन्तु यह देश के किसी भी भाग में बैठने के लिए स्वतंत्र होगा ।

6. आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा तथा यथा आवश्यक सूचनाएं और साक्ष्य ले सकेगा । भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग अपेक्षित जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे तथा आयोग द्वारा अपेक्षित सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करायेंगे ।

7. कृषि एवं सहकारिता विभाग एन० सी० एफ० को यथा अपेक्षित प्रशासनिक और बजटीय समर्थन मुहैया कराएगा ।

8. भारत सरकार को विश्वास है कि आयोग को राज्य सरकारें और संघ शासित प्रशासन अपना पूर्ण सहयोग एवं सहायता देंगे ।

सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव